मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य आश्वासन योजना

जनवरी, 2026

वर्तमान मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम के प्रमुख प्रावधान

पात्रता	राज्य कर्मचारी, संविदा आधार पर कार्यरत शासकीय कर्मचारी, कंटिनजेंसी वर्कर्स, होम गार्ड्स व उनके आश्रित (अन्य श्रेणी एमआर नियमावली अनुसार)
हितग्राही योगदान	हितग्राही द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जाता है
लाभ सीमा	आईपीडी हॉस्पिटलाइजेशन – ₹20 लाख ओपीडी कंसल्टेशन – ₹20,000 तक प्रति वर्ष (₹20,000+ दीर्घकालिक बीमारी)
चिकित्सालय नेटवर्क	राज्य के शासकीय चिकित्सालय राज्य के समस्त आयुष्मान चिकित्सालय राज्य के बहार के सम्बंधित चिकित्सालय इमरजेंसी – किसी भी चिकित्सालय में
लाभ प्रक्रिया	रेफरल एवं प्रतिपूर्ति
स्वास्थ्य उपचार पकजेस	सीजीएचएस रेट (एम्स पैकेज रेट अगर सीजीएचएस पैकेज उपलब्ध न हो)
स्वास्थ्य लाभ	आइपीडी एवं ओपीडी (मेडेसिन)

वर्तमान योजना की प्रमुख चुनौतियां

पात्रता	• पेंशनर्स व आश्रितों के लिए कोई योजना प्रचलन में नहीं है
लाभ सीमा	• ₹20 लाख की उच्चतम सीमा गंभीर बिमारियों के लिए अपर्याप्त
लाभ प्रक्रिया	• रेफरल एवं प्रतिपूर्ति (कैशलेस एवं पेपरलेस सेवा रहित)– हितग्राहियों को दिक्कतें
स्वास्थ्य लाभ	• केवल आइपीडी एवं ओपीडी (मेडेसिन) • सेवाएँ जो उपलब्ध नहीं है - इम्प्लांट्स, उपकरण, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के व्यय (Pre & Post Hospitalisation Expenses), अनुवर्ती उपचार पैकेज (Follow-up Packages), आयुष उपचार
मोनिटरिंग व प्लानिंग	• वितरित भौतिक डेटा (डेटा आधारित योजना और निगरानी का अभाव) • लाभ की सीमा के सत्यापन हेतु कोई प्रक्रिया नहीं (विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु) • शिकायतों तथा फ्रॉड नियंत्रण प्रणाली अनुपस्थित

प्रस्तावित योजन की कार्यप्रणाली

रोगी

स्वास्थ्य सेवाएँ (चिकित्सालय)

आईपीडी

ओपीडी

SHA सम्बद्ध थर्ड पार्टी एजेंसी (TPA) द्वारा क्लेम प्रोसेसिंग

सम्बद्ध (EMPANELLED) अस्पताल में कैशलेस एवं पेपरलेस उपचार

असम्बद्ध (NON-EMPANELLED) एवं आपातकालीन सेवा हेतु प्रतिपूर्ति

शासकीय चिकित्सालयों में निशुल्क सम्बद्ध चिकित्सालयों में रेफरल के माध्यम से

पात्र हितग्राही

कर्मचारी (Employees) एवं उनके

- पति/पत्नी,
- माता-पिता, सेवानिवृत्त/पेंशनभोगी माता-पिता (आय ₹3 लाख से कम)
- दो बच्चे, गोद लिए हुए/सौतेले बच्चे,
- तलाकशुदा पुत्री,

**चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार।

पेंशनर(Pensioners) म. प्र. शासन एवं उनके

- पेंशनर के पति/पत्नी

पात्र हितग्राही पंजीकरण (Enrollment)

कर्मचारी

- MPSEDC पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण
- DDO / Employee Code के आधार पर यूनिक आईडी डिजिटल कार्ड का निर्माण
- आश्रितों की जानकारी का कार्यालय प्रमुख (Office Head) द्वारा अनुमोदन
- हेल्थ कार्ड में कर्मचारी का फोटो / Employee ID / Pay Grade / विभाग का उल्लेख
- प्रत्येक आश्रित के लिए अलग-अलग डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे
- हितग्राही द्वारा प्रत्येक वर्ष आश्रितों की जानकारी का सत्यापन अनिवार्य
- MPSEDC पोर्टल पर सतत रूप से हितग्राही की जानकारी का updation
- डिजिटल कार्ड का निर्माण SHA की TPA एजेंसी द्वारा किया जाएगा

पेंशनर

- MPSEDC पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण
- Pensioner Code के आधार पर पंजीकरण
- पेंशनर एवं उनके पति/पत्नी की जानकारी का उल्लेख
- हेल्थ कार्ड में फोटो / Pensioner ID / Pay Grade / विभाग का उल्लेख
- हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष आश्रित संबंधी विवरण का सत्यापन अनिवार्य
- MPSEDC पोर्टल पर सतत रूप से हितग्राही की जानकारी का updation
- डिजिटल कार्ड का निर्माण SHA की TPA एजेंसी द्वारा किया जाएगा

स्वास्थ्य उपचार सीमा (प्रतिवर्ष)

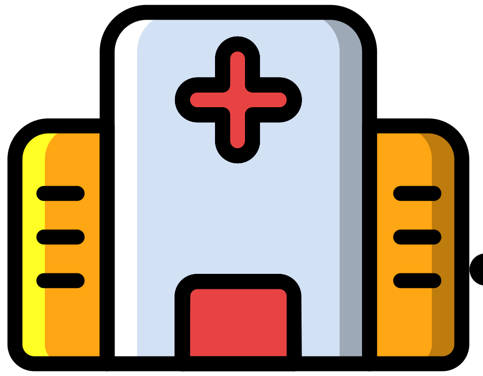

आईपीडी (अस्पताल में भर्ती) उपचार

- वर्तमान उपचार सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर असीमित (कोई ऊपरी सीमा नहीं) किया जाना प्रस्तावित है ।
- ₹5 लाख तक – PMJAY पैकेज
- ₹5 लाख से ऊपर – CGHS पैकेज
- गंभीर बीमारियों के लिए CGHS उच्च पैकेज (जैसे ₹35 लाख तक फेफड़े या हृदय प्रत्यारोपण) के अंतर्गत उपचार संभव होगा।

ओपीडी + दवाएँ + उपकरण एवं इम्प्लांट

- ₹20,000 प्रति परिवार प्रति वर्ष
- उपकरण एवं इम्प्लांट का व्यय CGHS पैकेज दरों के अनुसार

**शासकीय जिला चिकित्सालय तथा चिकित्सा महाविद्यालय में कर्मचारी/ पेंशनभोगी हेतु पृथक काउंटर स्थापित किया जाएगा

प्रस्तावित समेकित स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम

स्वास्थ्य सेवाएँ

- आईपीडी (अस्पताल में भर्ती उपचार)
- ओपीडी परामर्श (OPD Consultation)
- आयुष उपचार (AYUSH)
- उपकरण एवं इम्प्लांट (Equipment + Implants)
- दवाएँ (जेनेरिक दवाएँ)
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले एवं बाद का उपचार (Pre & Post Hospitalization Treatment)

सेवा लाभ प्रक्रिया

आइपीडी सेवाएँ

- सम्बद्ध (Empanelled) चिकित्सालयों में → कैशलेस एवं पेपरलेस उपचार
- असम्बद्ध चिकित्सालयों में (केवल आपातकालीन स्थितियों में) → सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रति-पूर्ति

ओपीडी सेवाएँ

- शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क
- निजी सम्बद्ध चिकित्सालयों में सिविल सर्जन द्वारा रेफरल पर (CGHS दरों पर)

दवाएँ एवं उपकरण

- EDL+Generic दवाएँ शासकीय चिकित्सालयों नि:शुल्क / जन औषधि केंद्रों से (generic) दवाएँ – प्रति-पूर्ति / उपकरण (equipment) - प्रति-पूर्ति

चिकित्सालय नेटवर्क

- राज्य के सभी आयुष्मान (PMJAY) सम्बद्ध चिकित्सालय
- राज्य के सभी CGHS सम्बद्ध चिकित्सालय
- राज्य के बाहर चिह्नित उच्च-गुणवत्ता वाले तृतीयक चिकित्सालय
- असम्बद्ध चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन मामलों हेतु प्रति-पूर्ति

हितग्राही योगदान

कर्मचारी (Employees)

वेतन बैंड	लाभार्थियों की संख्या	मासिक योगदान (₹)	वार्षिक योगदान (₹)	कुल अंशदान (करोड़ ₹)
वेतन बैंड 1–5	153184	250	3000	46
वेतन बैंड 6	123967	450	5400	67
वेतन बैंड 7–11	355603	650	7800	277
वेतन बैंड 12–17	32694	1000	12000	39
कुल	**665448**	–	–	**429**

पेंशनर (Pensioners)

पेंशनभोगियों की संख्या (संभावित)	मासिक योगदान (₹)	वार्षिक योगदान (₹)	कुल योगदान (करोड़ ₹)
175000	500	6,000	105

**उक्त योगदान वार्षिक रूप से समीक्षा उपरान्त (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)अनुसार) संशोधित किया जाएगा

हितग्राहियों की वार्ड पात्रता

कर्मचारी श्रेणी	वार्ड के अनुसार पात्रता
पे बैंड 8 एवं उससे ऊपर	प्राइवेट वार्ड
पे बैंड 1–8	सेमी प्राइवेट वार्ड

योजना का क्रियान्वयन

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा संचालन

- प्रशिक्षित स्टाफ: लीगल, हेल्थ इन्सुरांस एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की टीम
- Technical know-how: क्लेम प्रोसेसिंग, हेल्थ बनेफिट पैकेज, हॉस्पिटल एम्पनेल्मेंट, आदि
- कॉल सेंटर - 24x7 कॉल सेण्टर का संचालन, व्हाट्सऐप चैटबोट की उपलब्धता
- विशिष्ट सेल: ग्रिएवांस सेल, एंटी फ्रॉड सेल, चिकित्सालय एम्पनेलमेंट सेल, आईटी सेल

****योजना के सतत मार्गदर्शन, समीक्षा तथा नीतिगत निर्णय हेतु उच्च स्तरीय टास्क फ़ोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है**

आईटी तकनीकी पोर्टल

NHA – PMJAY पोर्टल

योजना हेतु NHA पोर्टल के उपयोग से वित्तीय एवं परिचालन दक्षता **(Cost & operational efficiency)** का लाभ लिया जा सकता है

- **हितग्राही पंजीकरण पोर्टल** - हितग्राही पंजीकरण एवं विवरण प्रविष्टि हेतु
- **उपचार प्रकरण प्रसंस्करण पोर्टल** - चिकित्सालयों द्वारा उपचार प्रकरण पंजीयन के लिए
- **हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल (HEM 2.0)**- चिकित्सालयों के संबद्धीकरण हेतु पोर्टल
- **शिकायत एवं धोखाधड़ी नियंत्रण पोर्टल**

****सी.जी.एच.एस., असम, उत्तराखंड द्वारा एनएचए के आईटी पोर्टल का उपयोग कर्मचारी स्वास्थ्य योजना हेतु वर्तमान में किया जा रहा है**